(17)

न्यायालय उपायुक्त सह–जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

Mutation Revision
Case No. 03/14-15

सत्य नारायण प्रधान अपीलार्थी
बनाम
मो0 इहतेसाम–विपक्षी

आदेश

अपीलार्थी (1) सत्य नारायण प्रधान, पिता–स्व0 विश्मभर प्रधान (2) पूरन प्रधान, पिता–पलटन प्रधान (3) अमृत प्रधान, वल्द स्व0 कमल प्रधान(4) प्रभात कुमार, पिता–स्व0 विमल प्रधान, माता–मैनुदेवी ग्राम–ईदगाह मुहल्लाह, थाना।जिला–सिमडेगा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सिमडेगा के न्यायालय का रेन्ट् अपील वाद सं0 02/2012–13 मो0 इहतेसाम बनाम सत्य नारायण प्रधान वगैरह में दिनांक–04/07/2014 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील /रिविजन दायर किया गया है।

यह रिविजन दिनांक–08.01.2015 को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया है।

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए कारण पृच्छा दाखिल करने का आदेश दिया गया।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद में आवश्यक पैरवी किये है।

इस रिविजन वाद में उभय पक्ष के बहस को सुना गया।
उभय पक्ष ने कहा कि इस वाद की विवादित भूमि मुख्य रूप से दखल के विन्दू पर आधारित है। उभय पक्ष कि अनुरोध पर इस विवादित भूमि के दखल के संबंध में श्री कुमार मंयक भूषण, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा को जाँच कर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया।

कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा ने दिनांक–10.09.2016 का स्थल पर जाकर जाँच किया है एवं प्रतिवेदन न्यायालय को सौपा है।

इस रिविजन वाद में अंतिम रूप से दिनांक–17/12/2020 को उभय पक्ष के वकील के बहस को सुना गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा कि इस वाद की विवादित भूमि मौजा ईदगाह मुहल्लाह के खाता न–141,प्लॉट न0– 439 रकबा–0.04 एकड़ से संबंधित है। विवादित भूमि खतियानी है एवं सयुंक्त नाम हरिनाथ भोगता, पिता–हरख भोगता एवं चोको भोगता वल्द खेदू भोगता के नाम से है। चोको भोगता, नावल्द मृत हो गये। इस कारण उनके हिस्से की भूमि भी हरिनाथ भोगता के हिस्सा में सम्मिलित हो गया है। वर्त्तमान रैयत जो है वे सभी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है। खतियानी भूमि खाता–141, प्लॉट नं0–439, रकबा–4.58 एकड़ की है। इस भूमि को सभी उत्तराधिकारी आपस में मौखिक रूप से बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काबिज

हैं एवं अपने हिस्से की भूमि को अन्य लोगों के बीच विक्रय भी कर रहे है। मो0 खीरोदेवी को हिस्सा में 1.58 एकड़ भूमि मिला है एवं दखलकार हैं। विवादित भूमि मोसोमात खीरो देवी, पति स्व0 जनक भोगता के हिस्सा की एवं दखल की थी जिसे उन्होने निबंधित पट्टा से मो0 इहतेसाम, पिता–मो0 सेराजुद्दीन, ग्राम–ईदगाह मुहल्ला थाना–सिमडेगा को 0.04 एकड़ भूमि बेची है।

इस प्रकार अन्य उत्तराधिकारी भी अपने हिस्से की भूमि को अन्य दूसरे–दूसरे व्यक्तियों के बीच बिक्री किये है।

विवादित भूमि के दखल के बारे में कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा जाँच कराया गया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। "कि प्रश्नगत् भूमि की जाँच के दौरान उपस्थित लोगो द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि विक्रेता मौसोमात खीरो देवी, पति–स्व0 जनक भोगता के कब्जे में थी एवं खेती करती थी जिसे विक्रय पट्टा(11.01.2012) द्वारा क्रेता के पास विक्रय की है। क्रेता के द्वारा भूमि का सीमांकन कराया गया एवं पत्थर भी गाड़ दिया गया था। मापी की पुश्टि सत्य नारायण प्रधान द्वारा भी किया गया, परन्तु स्पष्ट सीमांकन नहीं होने का दावा करते है। इसी बात को लेकर विवाद है। वर्त्तमान समय में भूमि खाली एवं झाड़ी–झूरमुट है।

विपक्षी मो0 इहतेसाम का मूल कागजात देखा जिसमें निबंधित केवाला शुद्धि पत्र (दा0 खा0) लगान रसीद –2014–15 सही पाया गया। जहाँ तक वादी सत्य नारायण प्रधान एवं घुरन प्रधान वगैरह के दावे की बात है,इस संबंध में उनसे बटवारा कागजात की मांग की गई परन्तु उनके द्वारा खतियान के अतिरिक्त कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा स्वंय भी संयुक्त खाता के रहते भूमि का विक्रय मौखिक बंटवारा के आधार पर किया गया है। उसी तरह मो0 खीरो देवी द्वारा भी आपसी मौखिक बटवारा में प्राप्त अपनी भूमि को क्रेता के साथ विक्रय किया गया है।

इस प्रकार राजस्व अभिलेख तथा उपस्थित व्यक्यिों से पूछताछ के आधार पर आवेदक (वादी) श्री सत्य नारायण प्रधान वगैरह का दावा सही प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी भी सीमांकन के लिए तैयार है। उभय पक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कार्य वांछनीय है।"

उभय पक्ष द्वारा न्यायालय में भी कोई मूल दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। मूख्य रूप से यह विवाद सीमांकन का ही प्रतीत होता है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध कागजातों कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सिमडेगा एव अंचल अधिकारी, सिमडेगा को निदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन उभय पक्ष की उपस्थिति में एक माह के अन्दर कराते हुए वाद का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगें।

लेखापित

15.01.21

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

15.01.21

उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 13:20:56 +05:30
Location: 192.168.112.67